न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–40/2018–19

प्रतिमा देवी.....अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू.....प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
03.08.18	अपीलार्थी प्रतिमा देवी, पति–श्री मनोहर प्रमाणिक, ग्राम–आदर्श नगर, पतरा टोली, बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–216 R27/2017-18/बुण्डू में दिनांक–03/04/2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू/0028	741	39	1.09 एकड़ मध्ये 05 डीसमील

अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अर्पीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी ने उपरोक्त वर्णित भूमि मो० गाँगी देवी पति–स्व० शिवनाथ प्रजापति, ग्राम–कुम्हार टोली बुण्डू, पो०+थाना–बुण्डू, जिला–राँची से रजिस्ट्री पट्टा से दिनांक–28/03/2017 को खरीदी है, जिसका बुक नं.–1, भोलुम नं.–12, पेज नं.–433 से 490, डीड नं–116/114 दिनांक–28.03.2017 है। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि खरीदने के उपरांत शांतिपूर्ण दखलकार हैं एवं उक्त भूमि का दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय, बुण्डू में ऑनलाईन आवेदन दिया गया जिसे अस्वीकृत किया गया। उक्त ऑनलाईन आवेदन में 1.09 एकड़ मध्ये 05 डी० जमीन के स्थान पर 1.09 एकड़ टाईप हो गया जिसके कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–216 R27/2017-18/बुण्डू में दिनांक–03/04/2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार नामांतरण हेतु आवेदित रकवा निबंधित पट्टा के अनुसार अधिक है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि ऑनलाईन आवेदन में सुधार उपरांत अपीलार्थी को सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

03/08/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

03/08/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।